

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित कार्य एनिकट निर्माण/2018-19/39335-43 दि. 21/10/19  
परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
बांसवाडा।

विषय : एनिकट निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : प्रशासनिक स्वीकृति पत्र क्रमांक 11000-30 दिनांक 30.01.2019 के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति पत्र क्रमांक 11000-30 दिनांक 30.01.2019 के क्रम में विकास अधिकारी, कुशलगढ जिला बांसवाडा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति एवं जल संसाधन विभाग के अनापत्ति के आधार पर अनुसार कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्यो की कॉलम संख्या-5 में वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क्र.स.	एनिकट निर्माण के कार्य का नाम	पंचायत समिति	तकनीकी स्वीकृति	
			क./दि.	राशि
1	2	3	4	5
1	एनिकट निर्माण मखजी हरहेश के घर के पास, ग्राम व ग्रा.पं. चरकनी	कुशलगढ	XEN/362/05.03.19	10.00
2	एनिकट निर्माण जितरा जोखा के खेत के पास, ग्राम बिजोरी बड़ी ग्रा.पं. बिजोरी	कुशलगढ	XEN/363/05.03.19	10.00
3	एनिकट निर्माण पोटलिया, ग्राम व ग्रा.पं. पोटलिया	कुशलगढ	XEN/530/01.03.19	30.00
4	एनिकट निर्माण फासिया तलाई गांव बड़वास बड़ी, ग्राम व ग्रा.पं. बड़वास बड़ी	कुशलगढ	XEN/365/05.03.19	10.00
5	एनिकट निर्माण सिंगला कुंडी, ग्राम सिंगला कुंडी ग्रा.पं. महुडा	कुशलगढ	XEN/367/05.03.19	10.00
6	एनिकट निर्माण सुखेड़ा नाले के पास, ग्राम व ग्रा.पं.घाटा	कुशलगढ	XEN/368/05.03.19	10.00
योग				80.00

उपरोक्त कार्यो हेतु राशि 80 लाख विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-50/2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रु.1200.93 लाख में से देय होगी।


कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे-

- उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु जल संसाधन विभाग से सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ करें एवं यह सुनिश्चित करें कि अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित होगी।
- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

कृ.पू.उ.


6. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।
7. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य करवाया जावे।
8. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवंलेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य कासम्पादन किया जावे।
9. परियाजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20728-80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यों की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेगे।
10. कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित कर फोटोग्राफ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

  
(अंजली राजोरीया)IAS  
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित कार्य नहर निर्माण/2018-19/39335-43 दि. 21/10/19  
प्रतिलिपी :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 50/2018.19 दिनांक 16.01.2019 में से परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को राशि रु .80.00 लाख हस्तांतरित करावें।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुशलगढ जिला बांसवाडा।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

  
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721  
ई-मेल : comm.tad @gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in